जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 45 संख्याः 18 प्रभात बीकानेर, शनिवार 12 अगस्त, 2023 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

‘आप सब मेरे पैसों से चुनाव लड़ते हैं और फिर मुझसे ही इस तरह से बात करते हैं’

पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी में मु.मंत्री गहलोत के इस कथन से के.सी. वेणुगोपाल भी भौंचक्के रह गए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने ऊपर एवं अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण कम होता जा रहा है। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो असुरक्षित प्रतीत हो रहे हैं तथा आगामी विधानसभा चुनावों में दबाव को सँभालने में असमर्थ हैं।

आज हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में गहलोत ने दायें, बायें तथा मध्य के साथियों पर प्रहार किये तथा वे पूरी तरह से आपे से बाहर नज़र आए। इस मीटिंग में के.सी. वेणुगोपाल उपस्थित हुये थे क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री उपस्थित नहीं हो सके थे।

- गहलोत की टिप्पणी का जवाब देते हुए वेणुगोपाल यहां तक कह गए कि, क्या आपने चुनाव को फंड देने के लिए अपनी जमीन बेची है।
- गहलोत ने रघुवीर मीणा से कहा, तुम चुनाव तक नहीं जीत सकते, मैं जानता हूँ तुम्हारी हैसियत क्या है।
- फिर उन्होंने नीरज डांगी का रूख किया, आपके तीन बार चुनाव हारने के बाद भी मैंने आपको राज्यसभा भेजा, आप सिर्फ बातें करते हो।
- उन्होंने खाचरियावास के लिए कहा कि, बार-बार अलग-अलग बयान देते हैं, कोई नहीं जानता आप किसके साथ हैं।
- गहलोत रघु शर्मा पर भी झल्लाए और बोले, आप बड़े नेता हैं, अगर जातिगत जनगणना पर आपत्ति है तो राहुल गांधी से बात कीजीए।

उनके क्रोध के निशाने पर एस.सी. और एस.टी. नेता थे।

सी.डब्ल्यू.सी. सदस्य रघुवीर मीणा उस समय उनके निशाने पर आ गये, जब उन्होंने ओ.बी.सी. मुख्यमंत्री की ओ.बी.सी. के लिए 6 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा का मुद्दा उठाया तथा कहा कि इससे बहुत नाराज़गी पैदा हुई है तथा इस विषय पर सोशल मीडिया पर विचार-विमर्श कर रहे युवाओं के हृदय धधक रहे हैं।

इस पर गहलोत अपना धैर्य खो बैठे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव नहीं जीत सकते और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने आपको कई बार टिकट दिये, लेकिन आप कभी नहीं जीत पाये। मैंने आपको सलूम्बर जिला दिया लेकिन यहाँ भी आप कुछ कर पाये हैं। जिस तरीके से गहलोत बोल रहे थे, उससे मीणा की आँखों में सचमुच ही आँसू भर आये।

इसके बाद, वे नीरज डाँगी की तरफ उन्मुख हुये। उन्होंने कहा कि आप एम.एल.ए. का चुनाव तीन बार हार गये लेकिन फिर भी मैंने आपको राज्यसभा में भेजा। अब आप अपने साले के लिये टिकट माँग रहे हैं लेकिन आपके क्षेत्र में आपका कोई असर ही नहीं हैं। आपने कोई काम नहीं किया है, केवल बातें की हैं। इसके बाद उन्होंने प्रताप खाचरियावास को आड़े हाथों लिया और कहा कि आपने विभिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न बयान दिये और यह बात कोई

(शेष पृष्ठ 5 पर)

‘पब्लिसिटी इन्ट्रैस्ट लिटिगेशन’

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान की धारा 32 के तहत एक जनहित याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया, जिसमें 26 राजनैतिक पार्टियों के खिलाफ यह निर्देश देने का निवेदन किया गया था कि उन पर “इंडियन नैशनल डवलपमैंट इंक्लुसिव एलायंस” को “इंडिया” या अन्य मिलते-जुलते नाम के प्रयोग पर पाबंदी लगाई जाय। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने याचिकाकर्ता की हैसियत से पूछा और कहा, “इसे पेश करने वाले आप कौन होते हैं। यह विशुद्ध रूप से “पब्लिसिटी इंट्रेस्ट लिटिगेशन” लगती है। अगर आपको कोई शिकायत है तो

- सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष द्वारा “इंडिया” नाम रखे जाने के खिलाफ दायर याचिका को प्रचार का हथकंडा बताकर खारिज कर दिया।

आपको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और उन्हें उचित कार्रवाई करने देनी चाहिए।” जब वकील अपने तर्कों पर अड़े रहे तो कोर्ट ने दखल कर आदेश दिया, “हम इस याचिका को संविधान की धारा 32 के तहत स्वीकार नहीं कर सकते। तब वकील ने कोर्ट से निवेदन किया कि याचिका वापस लेने की अनुमति दें, तो जस्टिस धूनिया ने कहा, “हमने आपको पहले ही यह विकल्प दिया था। इस स्तर पर विद्वान वकील मामले को वापस लेना चाहते हैं, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा

इंडियन पीनल कोड की जगह प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता का प्रावधान

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 अगस्त। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए जिनका उद्देश्य है उपनिवेश कालीन अपराधिक कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करना। इसमें विवादास्पद राजद्रोह कानून से लगाकर बच्चों और अवयस्कों के अधिकार सुरक्षित करने के कानून को मजबूत बनाना तक शामिल हैं।

- केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र के अंतिम दिन ब्रिटिश राज के तीन कानूनों को खत्म करने व उनकी जगह नए कानून के विधेयक पेश किए।
- इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडैंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक लाए गए हैं।
- नए फेरबदल से राजद्रोह कानून को भी पूरी तरह से खत्म करने का प्रस्ताव है।

गृह मंत्री ने इण्डियन पीनल कोड, सी.आर.पी.सी. और एविडैंस एक्ट की जगह लेने के लिए क्रमशः भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय सुरक्षा संहिता बिल और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल पेश किए। शाह ने कहा कि नए कानून का लक्ष्य है न्याय देना। उन्होंने कहा कि सुधार आवश्यक था क्योंकि उपनिवेश काल के कानून एक सदी से ज्यादा से अपराधिक न्याय व्यवस्था के मूल में थे। ये विधेयक चर्चा के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजे जाएंगे।

कुछ विधि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये विधेयक पारित हो गए तो इससे न्यायिक प्रक्रिया बाधित होगी क्योंकि अदालतों को हजारों मुकदमों में प्रक्रियात्मक प्रभाव को देखना होगा। लेकिन अधिकारिक राय है कि नए कानूनों से महिला और नाबालिगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के कानूनों में सुधार पर नए सिरे से चर्चा होगी और अपराध संहिता में भी पारदर्शिता आएगी। नए कानून में नाबालिग से बलात्कार और मोब लिंचिंग पर मौत की सजा का प्रावधान है।

नए परिवर्तन में राजद्रोह कानून को भी खत्म कर दिया गया है, इस कानून का उपयोग तत्कालीन ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किया जाता था। लेकिन 1947 के बाद इस कानून को चुनी हुई सरकारों ने लोगों का डराने-धमकाने के काम में लेना शुरु कर दिया। प्रस्तावित विधेयक में इसके स्थान पर ऐसे अधिनियम आ जाएंगे जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के खिलाफ होंगे। पिछले वर्षों में भाजपा सरकार ने दर्जनों बेकार कानूनों को समद्र कर देश के औपनिवेशिक दौर की विधि-व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया है।